

## संधि जल संधि

### प्रलिमिस के लिये:

कशिनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाएँ, IWT का अनुच्छेद IX, संधि और उसकी सहायक नदियाँ।

### मेन्स के लिये:

संधि जल संधि और संबंधित कार्यान्वयन मुद्दे।

### चर्चा में क्यों?

भारत ने जम्मू-कश्मीर में कशिनगंगा तथा रातले (चनिब नदी पर) जलविद्युत परियोजनाओं पर विवादों को हल करने में पाकिस्तान की "हठधर्मता" का हवाला देते हुए [संधि जल संधि](#) (Indus Waters Treaty -IWT) की समीक्षा और इसमें संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटसि जारी किया है।

- यह नोटसि "IWT के अनुच्छेद IX द्वारा प्रक्रियापति विवाद नपिटान के श्रेणीबद्ध तंत्र के उल्लंघन" के बाद भेजा गया था।

### संधि जल संधि:

#### परिचय:

- भारत और पाकिस्तान ने नौ वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किया, जिसमें [विश्व बैंक](#) भी इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता था।
- यह संधि संधि नदी और उसकी पाँच सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चनिब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिये एक तंत्र निर्धारित करती है।

## The Indus Waters Treaty (IWT)

■ The distribution of waters of the Indus and its tributaries between India and Pakistan is governed by the Indus Water Treaty (IWT).


■ Was signed on Sept 19, 1960, between India, Pakistan and a representative of World Bank after eight years of negotiations.

■ Partition of India cut across the Indus river basin, which has the Indus river, plus five of its main tributaries.


### Western rivers

#### Chenab, Jhelum, Indus

**India's rights over these rivers:**  
Limited – can set up certain irrigation, run-of-the-river power plants, very limited storage, domestic and non-consumptive use, all subject to conditions



Baglihar dam on Chenab



II

### प्रमुख प्रावधानः

#### साझा जलः

- संधि ने नरिधारति कथि कसिधि नदी प्रणाली की छह नदियों के जल को भारत और पाकस्तान के बीच कैसे साझा कथि जाएगा।
- इसके तहत तीन पश्चिमी नदियों- सधि, चनिब और झेलम को अप्रतिबिधित जल उपयोग के लिये पाकस्तान को आवंटति कथि, भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोग्य, कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास एवं सतलज को अप्रतिबिधित जल उपयोग के लिये भारत को आवंटति कथि गया था।

- इसका मतलब है कि जिल का 80% हस्तियां पाकस्तान में चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिये छोड़ दया गया।

#### स्थायी सधि आयोगः

- इसके लिये दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा एक स्थायी सधि आयोग की स्थापना की भी आवश्यकता थी।
- सधि जल संधिके अनुसार, आयोग वर्ष में कम-से-कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकस्तान में बैठक करेगा।

#### नदियों पर अधिकारः

- झेलम, चनिब और सधि के पानी पर पाकस्तान का अधिकार है, IWT के अनुलग्नक C में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलग्नक D इसे 'रन ऑफ द रविर' जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अरथ

है कि पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है।

० विवाद समाधान तंत्र:

- IWT संधि जल संधिके अनुच्छेद IX के तहत तीन चरणों वाला विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के "प्रश्नों" का समाधान स्थायी आयोग में कथा जा सकता है या इनहें अंतर-सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है।
- जल-बैंटवारे को लेकर देशों के बीच अनसुलझे प्रश्नों या "मतभेदों", जैसे- तकनीकी मतभेद के मामले में कोई भी पक्ष निरिण्य लेने के लिये तटस्थ विशेषज्ञ (NE) की नियुक्ति हेतु विश्व बैंक से संपर्क कर सकता है।
  - अंततः यदि कोई भी पक्ष NE के निरिण्य से संतुष्ट नहीं है या संधि की व्याख्या और सीमा "विवाद" के मामले में मामलों को मध्यस्थिता न्यायालय में भेजा जा सकता है।

## कशिनगंगा जलविद्युत परियोजना

- कशिनगंगा परियोजना भारत के जम्मू-कश्मीर में बांदीपोर से 5 कमी. उत्तर में स्थिति है।
- यह एक रन-ऑफ-द-रविर परियोजना है जिसमें 37 मीटर लंबा कंक्रीट-फेस रॉक-फलि बांध शामिल है।
- इसे कशिनगंगा नदी के पानी को एक सुरंग के माध्यम से झेलम नदी बेसनि में एक विद्युत संयंत्र में डाइवर्ट करने की आवश्यकता है।
- इसकी स्थापति क्षमता 330 मेगावाट होगी।
- इस जलविद्युत परियोजना का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था।
- पाकिस्तान ने परियोजना पर यह कहते हुए आपत्ति जिताई कथि कशिनगंगा नदी (जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है) के प्रवाह को प्रभावित करेगा।
- वर्ष 2013 में हेग में स्थिति स्थायी मध्यस्थिता न्यायालय (Court of Arbitration- CoA)) ने फैसला सुनाया कमियात कुछ शर्तों के साथ पूरे जल का उपयोग और इसे डाइवर्ट कर सकता है।

## आगे की राह

- संधि के प्रावधानों का पालन करने में भारत की भूमिका उल्लेखनीय रही है, लेकिन देश पर इस बात पर पुनर्विचार करने का दबाव है किंविह कसिं हद तक प्रावधानों के प्रतिप्रतिविवध रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके समग्र राजनीतिक संबंध कठोर हो गए हैं।
- IWT को अक्सर शांतपूर्ण सह-अस्ततिव की संभावनाओं के उदाहरण के रूप में उद्धृत कथा जाता है जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच अशांत संबंधों के बावजूद मौजूद है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विवित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. संधि नदी प्रणाली के संदर्भ में नमिनलखिति चार नदियों में से तीन उनमें से एक में मलिती है, जो अंततः सीधे संधि में मलिती है। नमिनलखिति में से कौन-सी ऐसी नदी है जो सीधे संधि से मलिती है?

- (a) चनिब  
(b) झेलम  
(c) रावी  
(d) सतलज

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- झेलम पाकिस्तान में झांग के पास चनिब में मलिती है।
- रावी सराय सदिघू के नकिट चनिब में मलि जाती है।
- सतलज पाकिस्तान में चनिब में मलिती है। इस प्रकार सतलज को रावी, चनिब और झेलम नदियों की सामूहिक जल निकासी प्राप्त होती है। यह मध्यनकोट से कुछ कलोमीटर ऊपर संधि नदी से मलिती है।

अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न. नमिनलखिति युग्मों पर विचार कीजिये: (2019)

हमिनद

नदी

- बंदरपूंछ : यमुना
- बड़ा शागिरी : चनिब

3. मलिम :	मंदाकनी
4. सथिताचनि :	तुब्रा
5. ज़मू :	मानस

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से युग्म सही समेलति हैं?

- (a) 1, 2 और 4
- (b) 1, 3 और 4
- (c) 2 और 5
- (d) 3 और 5

उत्तर: (a)

प्रश्न. सधि जल संधिका लेखा-जोखा प्रस्तुत कीजयि और बदलते द्वपिक्षीय संबंधों के संदरभ में इसके पारस्थितिकि, आरथकि और राजनीतिकि नहितारथों की जाँच कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2016)

स्रोत: द हंडि

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indus-waters-treaty-1>

